

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12179/ 2900

दिनांक :- 19-07-19

कार्यालय आदेश

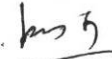
श्री /श्रीमती/ सुश्री राजेश लामरोड [लिंक न. 12179] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी जालौर को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 20/02/2019 से 22/02/2019 तक 3 दिवस

दिनांक 08/03/2019 से 08/03/2019 तक 1 दिवस

कुल 4 दिवस

उक्त कुल 4 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती/ सुश्री राजेश लामरोड की सेव पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)

निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12179/ 2900

दिनांक :- 19-07-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी जालौर

2. श्री /श्रीमती/ सुश्री राजेश लामरोड [12179] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी जालौर

3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक

4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

5. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)